न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स संख्या 02/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

___प्रार्थी

बनाम

1– अमरनाथ पुत्र बाबूलाल हि0 1/2 जाति माली सा0 सूरजपोल गेट भरतपुर खातेदार ।

2– भीमसिंह पुत्र जगनी हि0 1/4 जाति माली सा0 सूरजपोल गेट भरतपुर खातेदार।

3– रघुवीर सिंह पुत्र जगनी हि0 1/4 जाति माली सा0 सूरजपोल गेट भरतपुर खातेदार ।

____अप्रार्थीगण

रेफरेन्स नामा0 संख्या 1330,1346,1449,1468 वाके कस्बा भरतपुर चक नं. 03 अन्तर्गत धारा 82 धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :–

1–राजकीय अधिवक्ता ,अभिभाषक प्रार्थी,

2–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभि0 अप्रार्थी0

निर्णय **दिनांक 11.08.2021**

प्रार्थी/तहसीलदार भरतपुर की ओर से यह रेफरेन्स इस आशय का पेश किया गया कि कस्बा भरतपुर चक नं. 03 स्थित गत खसरा नम्बर 1720 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 336/0.08 है0, 337/0.01 है0, व 339/0.22 है0 बनाये गए हैं। आराजी जमाबंदी संवत 2026 जिम्मन संख्या 01 में खाता मिलकियत सरकार के खाते में दर्ज रिकार्ड थी। खसरा नम्बर 336/0.08 है0, 337/0.01 है0 व 339/0.22 है0 वाके कस्बा भरतपुर चक नं. 03 में नामान्तकरण संख्या 1330 दिनांक 21.07.2011 व 1346 दिनांक 28.06.2012 के द्वारा नगर परिषद भरतपुर के खाते में दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

कर्मियों से मिल्लत कर नामाकरण संख्या 1449 दिनांक 07.03.2018 व नामान्तकरण सं. 1468 दिनांक 05.12.2018 द्वारा खातेदारी अधिकार अनुचित रूप से प्राप्त कर लिए हैं ।

उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान नगर निगम भरतपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं। मौके पर वर्तमान में उक्त आराजी सी.एफ.सी.डी. के बहाव क्षेत्र में हैं। उक्त भूमि कानूनी रूप से राजकीय भूमि है तथा अप्रार्थीगण की स्थिति मात्र अतिक्रमी की है। भूमि कृषि उपयोग में नहीं ली जा रही है। अप्रार्थीगण के इन्द्राज अवैधानिक है, खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है एवं पूर्व की स्थिति (सिवायचक) राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं उक्त खसरा नम्बरान पर दर्ज खातेदारी इन्द्राज कलमजन किये जाने योग्य हैं। अन्त में प्रार्थी द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि राजकीय भूमि पर अनुचित रूप से अप्रार्थीगणों द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सरकारी भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है। अतः नामान्तकरण संख्या 1330, 1346, 1449, 1468 को निरस्त करने व भूमि को सिवायचक /नगर निगम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हतु रेफरेंस स्वीकार किया जावे ।

रेफरेंस दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 01 दिनांक 19.12.2019 को व अप्रार्थी सं. 2 व 3 दिनांक 28.01.2020 को जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थीगण के द्वारा अपना कोई जबाव पेश नहीं किया गया अपितु सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया है। तत्पश्चात रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 336/0.08 है0, 337/0.01 है0, व 339/0.22 है0 वाके करबा भरतपुर चक नं. 03 में नामान्तकरण संख्या 1330 दिनांक 21.07.2011 व 1346 दिनांक 28.06.2012 के द्वारा नगर परिषद भरतपुर के खाते में दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त भूमि सी.एफ.सी.डी. के बहाव क्षेत्र में हैं, अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मियो से मिलीभगत करके जलभराव क्षेत्र में खसरा नम्बर 336, 337, 339 पर अवैध रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज की जावे। राजकीय अभिभाषक का यह भी तर्क है कि भूमि सरकारी है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की स्थिति मात्र अतिक्रमणियों की परिभाषा की श्रेणी में आती है। अनियमित रुप से प्राप्त की गई खातेदारी को निरस्त कर भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल कर भूमि को कब्जा बहक राज्य सरकार दिलाया जावे। नामान्तकरण संख्या 1330, 1346, 1449, 1468 को निरस्त करने व भूमि को सिवायचक/नगर निगम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हतु रेफरेंस स्वीकार किया जावे।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जाहिर किया गया कि विवादित आराजी पर वर्तमान में अप्रार्थी सं. 01 अमरनाथ 1/2 हिस्से का एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 भीमसिंह व रघुवीर 1/4, 1/4 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त इन्द्राज सक्षम न्यायालयों के निर्णय व डिक्री के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1449 व 1468 के आधार पर आए है। रेफरेन्स में उक्त आराजी को सी.एफ.सी.डी. के बहाव क्षेत्र में होना माना गया है, जो गलत है। दिनांक 31.10.1955 अर्थात संवत 2012 में आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के पिता आदि की खुद काश्त दर्ज है तथा किस्म बंजड दर्ज है। इसी प्रकार संवत 2014 में भी आराजी खुद काश्त दर्ज है और किस्म बंजड दर्ज है और ताहाल तक भी किस्म बंजड है परन्तु तहसीलदार भरतपुर द्वारा रेफरेन्स महज परेशान करने की गरज से किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि नामान्तकरण संख्या 1449 व 1468 स्वयं तहसीलदार भरतपुर द्वारा मौका देखकर स्वीकृत किये गए हैं और स्वयं तहसीलदार ही अब रेफरेन्स के माध्यम से इन्हें गलत होना कहता है। एक ही व्यक्ति या संस्था द्वारा इस प्रकार के विरोधाभाषी तथ्य कैसे दिए जा सकते हैं। तहसीलदार भरतपुर अपने द्वारा किये नामान्तकरण से एस्टोप्पड है और रेफरेन्स करने का तहसीलदार भरतपुर को कोई अधिकार नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा यह भी तर्क किया है कि पूर्व निर्णय व डिक्रियों के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये गए हैं जिनकी बावत कोई अपील नहीं की गई है, निर्णय अन्तिम हो चुके हैं। रेफरेन्स के माध्यम से कोई भी कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विवादित खसरा नम्बर के सबंध में सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर, आयुक्त नगर निगम भरतपुर, अधीक्षण जल संसाधन विभाग भरतपुर एवं तहसीलदार भरतपुर की संयुक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त सयुक्त जांच रिपोर्ट में अंकित है कि " कस्बा भरतपुर के चक न0 3 के आराजी खसरा नम्बर 336, 337, 339 सरकूलर रोड के सहारे सी.एफ.सी.डी के बहाव क्षेत्र में है। जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा मिट्टी डालकर बहाव क्षेत्र को अवरूद्ध करने का प्रयास किया गया है। मौके पर सम्पत्ति नगर निगम भरतपुर की होने का बोर्ड लगा हुआ है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान बहाव क्षेत्र में है व खाली है। मुताबिक जमाबंदी कस्बा भरतपुर चक न0 3 के खसरा नम्बर 336 रकबा 0.08, 337 रकबा 0.01 तथा 339 रककबा 0.22 किता 3 रकबा 0.31 अमरनाथ पुत्र बाबूलाल हि0 1/2 भीमसिंह, रघुवीरसिंह पिसरान जगनी हि0 1/2 जाति माली साकिन देह सूरजपोल गेट भरतपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।" उक्त संयुक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त भूमि कानूनी रूप से राजकीय भूमि है और वह वर्तमान में कृषि उपयोग में भी नही ली जा रही है। वर्तमान में उक्त आराजी नगर निगम भरतपुर के स्वामित्व की है। माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 1536/2003

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के परिपेक्ष्य में ऐसी भूमियां जो जलभराव, जल संग्रहण, जल निकास, तालाब, पोखर, जोहड आदि क्षेत्र के अन्तर्गत हो तो किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि संगत नहीं कहां जा सकता। उक्त आराजी पर वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम हो रहे इन्द्राज मात्र अतिक्रमी जैसे है। विवादित आराजी जल–भराव (सी.एफ.सी.डी.) क्षेत्र में होने एवं धारा 16 आरटीए से भी बाधित होने के कारण रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुर्क्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि कस्बा भरतपुर चक न03 स्थित आराजी खसरा नम्बर 336, 337, 339 पर अप्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी इन्द्राजों को कलमजन कर नामान्तकरण संख्या 1330, 1346, 1449, 1468 को निरस्त किया जावे तथा उक्त भूमि को सिवायचक/नगर निगम भरतपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 27.09.2021 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को सुनाया गया।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर